आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी नं0 3 ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी वकील की दिलवाई गई। वकुलाय ने बहस श्रवण करने का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.22 को पेश हो।	
06.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान आवेदक वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदकगण आवेदक के खसरा नम्बर 64 के हक हिस्से की भूमि के सामने सड़क सीमा की सरकारी खाली भूमि पर पुख्ता निर्माण कर कब्ज करना चाहते हैं और आवेदक का रास्ता अवरूद्ध करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम अडवाना के भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 0.82 है0 किस्म गै0मु0 बंजड पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कर कब्जा नहीं करें। अनावेदक नं0 3 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा नं0 63 सरकारी भूमि हैं, जिस पर प्रार्थी का कोई टाईटल नहीं होने के कारण उसे स्थाई व्यादेश का वाद/प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। भूमि खसरा नम्बर 64 मंदिर की खातेदारी भूमि है जिस पर भी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। पत्रावली एवं जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में ग्राम अड़वाना के भूमि खसरा नम्बर 64 की खातेदारी मंदिर श्री नृसिंह जी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं एवं भूमि खसरा नम्बर 63 सरकारी भूमि हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। अतः प्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सारही करने से खारीज किया जाता हैं। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2023.02.13 12:35:51 IST Reason: SelfAttested 6/4/22 उपखण्ड अधिकारी (रामसिंह राजावत) उदयपुरवाटी	